

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/170903/SHR/SAHARANPUR/2108/CFO

दिनांक:04-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AVACASA, VILLA NO 117, KH NO 219, 220, VILLAGE BADKALA, SAHARANPUR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **VILLA NO 117, KH NO 219, 220, VILLAGE BADKALA, SAHARANPUR** तहसील - **BEHAT** प्लॉट एरिया **840.27 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **263.70** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RESIDENTIAL BUILDING	2	0	7.14 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AVACASA, VILLA NO 117, KH NO 219, 220, VILLAGE BADKALA, SAHARANPUR** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AVACASA, VILLA NO 117, KH NO 219, 220, VILLAGE BADKALA, SAHARANPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : As per FSSO Saharanpur report-----In this proposed Residential building fire fighting- Fire extinguishers, Exit signage will be required as per NBC 2016. According to Utter Pradesh Fire and Emergency Service Act-2024 the decision regarding the necessity of setback and its availability will be taken by the concerned Development authority as per the building bylaws.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

Note : As per FSSO Saharanpur report-----In this proposed Residential building fire fighting- Fire extinguishers, Exit signage will be required as per NBC 2016. According to Utter Pradesh Fire and Emergency Service Act-2024 the decision regarding the necessity of setback and its availability will be taken by the concerned Development authority as per the building bylaws.

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATAP SINGH)

[5E3DF4532B36A5CFAF0AD0A67B7D62336A491676]

10-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-09-2025
स्थान : SAHARANPUR